न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3704—एक / 2013 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 03—08—2013 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर के प्रकरण क्रमांक अपील 98 / अ—06 / 2012—13

......

सतीश राय उर्फ झल्लु राय
पुत्र स्व0 श्री ज्ञान चन्द्र राय
निवासी—गोपालपुरा पोस्ट बड़गांव,
तहसील व जिला—टीकमगढ़
हाल निवासी—ग्राम रमखिरिया, तहसील सिहोरा,
जिला—जबलपुर, म0प्र0

.......................आवेदक

विरूद्ध

बद्रीप्रसाद पुत्र श्री हरप्रसाद (मृत) वारिसान—
1. संजय कुमार राय पुत्र बद्रीप्रसाद
2. मायाबाई पुत्री बद्रीप्रसाद
3. सुरेन्द्र कुमार राय

निवासी—ग्राम रमखिरिया, तहसील सिहोरा,
जिला—जबलपुर, म0प्र0

..............अनावेदकगण

....

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री लखन सिंह धाकड़, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

आदेश
(आज दिनांक 9-9-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त जबलपुर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 98 / अ—06 / 2012—13 में पारित आदेश दिनांक 03—08—2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 92/1 रकबा 1.51 हैक्टर सर्वे क्रमांक 490 रकबा 0.41 हैक्टर सर्वे क्रमांक 493 रकबा 0.11 हैक्टर, सर्वे क्रमांक 723 रकबा 0.17 हैक्टर सर्वे कमांक 727 रकवा 0.13 हैक्टर एंव 730 रकवा 0.62 हैक्टर कुल किता 6 रकवा 2.75 हैक्टर कृषि भूमि स्वामी आवेदक सतीश राय के पिता स्व0 ज्ञानचन्द्र राय एंव अनावेदक बद्रीप्रसाद पुत्रगण हरप्रसाद सगे भाई होकर उक्त भूमि के सह खातेदार होकर भूमि स्वामी थे। अनावेदक सतीश राय उर्फ झल्लू राय ने अपने पिता स्व0 श्री ज्ञानचन्द्र राय की मृत्यु के पश्चात उनके स्थान पर अपने नाम का नामान्तरण कराने हेतु आवेदन तहसील न्यायालय सिहोरा में प्रस्तुत किया, जिस पर प्रकरण कमांक 53/अ—06/2010—11 व उनवान सतीश राय बनाम बद्रीप्रसाद राय दर्ज किया गया। जिस पर अनावेदक बद्रीप्रसाद द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत की । न्यायालय द्वारा अनावेदक को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये, साक्षियों के कथन हल्का पटवारी का प्रतिवेदन एवं कोटवार के कथन लेने के पश्चात एंव अनावेदक की पत्नी श्रीमती कुसुम के कथन लेकर स्व0 सहखातेदार के स्थान पर आवेदक सतीश राय का नामान्तरण किये जाने का दिनांक 15.12.2011 को आदेश पारित किया गया, जिसके आधार पर आवेदक का नाम सहखातेदार के साथ जोड़ा गया। तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अनावेदक बद्रीप्रसाद के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण कमांक 31/अ—06/2011—12 पर दर्ज की गयी, जो आदेश दिनांक 25.09.2012 के द्वारा स्वीकार की गयी। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर सम्भाग जबलपुर के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की, जो प्र0क्र0 98/अ—06/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 03—08—2013 के द्वारा अस्वीकार की गयी । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि तहसीलदार द्वारा अपने न्यायालय में सम्पूर्ण नामांतरण नियमों का पालन करते हुये, आवेदक के पिता ज्ञानचन्द्र की मृत्यु के पश्चात् उसके वैद्य पुत्र आवेदक सतीश का नाम साक्ष्य अभिलेख से प्रमाणित होने पर ब्रा तन वारिसान नामांतरण आदेश पारित किया था, जो विधिक प्रक्रिया के अनुरूप होने से यथावत रखे जाने योग्या था । मृतक सह खातेदार भूमि स्वामी ज्ञानचन्द्र राय की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र सतीश राय का ज्ञानचन्द्र के हिस्से पर नामांतरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, जो साक्षियों द्वारा प्रमाणित कराये जाने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के

एवं आवेदक के हित में नामांतरण किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों एवं साक्ष्य का आवलोकन किये बिना मनमाने आधार पर तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने में अपने न्यायिक विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है । ऐसा आदेश प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत है । उन्होंने तर्क में यह भी बताया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित मनमाने ईललीगल आदेश को मनमाने आधार पर यथावत रखने में भूल की है । जब आवेदक का नामातरण अपने पिता की भूमि पर हो गया है जिस पर अनावेदक बद्रीप्रसाद के अलावा अन्य सहखातेदारों ने नामांतरण को चुनौती नहीं दी तो इसका अर्थ है कि मृतक ज्ञानचन्द्र की मृत्यु के पश्चात् आवेदक के हित में किये गये वैद्य वारिसाना नामांतरण स्वीकार है । क्योंकि अन्य सहखातेदार कुसुम जो की अनावेदक की पत्नी है, ने भी आवेदक सतीश राय को मृतक ज्ञानचन्द्र का पुत्र होना स्वीकार किया है, जिसे अनदेखा करते हुये, अधीनस्थ न्यायालयों ने जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है । हिन्दू उत्तराधिकर अधिनियम के तहत वैद्य वारिसान के रूप में आवेदक का अपने पिता मृतक ज्ञानचन्द्र के स्थान पर नामांतरण कराने का वैद्य उत्तराधिकार प्राप्त है । उसी के अनुरूप तहसील न्यायालय ने आदेश पारित किया था जो यथावत रखे जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि संहिता की धारा 109, 110 अनुसार नामांतरण में यह विचार करना चाहिये कि मृतक विधिक वारिस कौन है, किन्तु विचारण न्यायालय ने इसकी विधिवत जांच नहीं की है । साक्षी कुसुम बाई ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी साक्ष्य में कथन किया था कि आवेदक सतीश का जन्म कहां हुआ है, यह उसे नहीं मालूम है । विचारण न्यायालय द्वारा ग्राम कोटवार की साक्ष्य ली गई, जिसमें उसने बताया कि ग्रम रामखिरिया में सतीश नाम के पुत्र का जन्म नहीं हुआ और न ही उसकी पंजी में सतीश का नाम दर्ज है । उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा इस साक्ष्य को भी अनदेखा किया गया है । विचारण न्यायलया में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची एवं मौजा गोपालपुरा जिला–टीकमगढ़ के खसरा नं0 140 एवं 141 पर भी गौर नहीं किया, जिसमें आवेदक सतीश वल्द बारेलाल का नाम दर्ज है । मतदाता सूची में भी गीताबाई पति बारेलाल का नाम दर्ज है । आवेदक द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं है जिससे स्पष्ट हो कि सतीश आवेदक ज्ञानचन्द्र राय का पुत्र है ।

अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.12 विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाये तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जावे ।

5/ मैंने उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से यह पाया गया कि ग्राम गोपालपुर, जिला–टीकमगढ़ स्थित खसरा क्र0 140, 141/2 रकबा क्रमशः 0.490, 0.510 है0 फार्म बी–1 किश्तबंदी खतौनी एवं फार्म पी–11 खसरा वर्ष 2011–12 तथा ग्राम पंचायत डूंडाटोरा, जिला–टीकमगढ़ की मतदाता सूची में वर्ष 2009 में आवेदक का नाम सतीश कुमार वल्द बारेलाल राय दर्ज है । इस प्रकार आवेदक द्वारा पिता बारेलाल से उत्तराधिकार तक प्राप्त हो चुका है । आवेदक स्वयं को ज्ञानचंद राय, मौजा रमखिरिया का पुत्र बताकर ज्ञानचंद के खाते की भूमि पर अपना हक स्थापित करना चाहता है । विभिन्न राजस्व अभिलेखों/अन्य शासकीय अभिलेखों में किसी व्यक्ति की दो वल्दियत दर्ज नहीं हो सकती है । यदि आवेदक ज्ञानचंद का पुत्र था और उसकी मां गीताबाई ज्ञानचंद को छोड़कर बारेलाला के साथ रह रही थी, तो आवेदक को वास्तविक रूप से ज्ञानचंद का पुत्र होने के उपरांत बारेलाल का पुत्र होने का हक तभी प्राप्त हो सकता था, जबकि बारेलाल द्वारा उसे विधिवत गोद लिया गया हो । ऐसा कोई विधिक दस्तावेज आवेदक के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है । चूँकि राजस्व अभिलेखों तथा अन्य अभिलेखों में आवेदक के पिता का नाम बारेलाल दर्ज है । अतः उसे बारेलाल का पुत्र माना जायेगा, ज्ञानचंद का पुत्र नहीं । आवेदक द्वारा ज्ञानचंद का उत्तराधिकारी/वारिस पुत्र होने के संबंध में सक्षम न्यायालय का कोई आदेश प्रस्तुत नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर, द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–08–2013 स्थिर रखा जाता है । फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर अभिलेख दाखिल रिकार्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर